आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

का.आ. 3931(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), की धारा 16 के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इस आदेश का नाम पॉलीयुरेथेनेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

2. **मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

इसका कुछ भी निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति-** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का नाम**
(1)	**(2)**	**(3)**
पॉलीयुरेथेनेस	आईएस 17397 (भाग 1): 2020 याआईएसओ 16365-1: 2014	प्लास्टिक – मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न सामग्री के लिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन भाग 1 नामित प्रणाली और विनिर्देश के लिए आधार

नोट : सारणी के प्रयोजनार्थ, इस संबंध में जारी किए संशोधनों सहित भारतीय मानक ब्यूरो का नवीनतम संस्करण, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th September, 2021

S.O. 3931(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with Sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standard is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Polyurethanes (Quality Control) Order, 2021.

   (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark. -- Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the said Table.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Polyurethanes	IS 17397 (Part 1) : 2020 or !SO 16365-1 : 2014	Plastic – Thermoplastic Polyurethanes for Moulding and Extrusion Materials Part 1 Designated System and Basis for Specification

Note : For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

का.आ. 3932(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), की धारा 16 के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इस आदेश का नाम विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

2. **मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

इसका कुछ भी निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति-**कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।